खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्य सरकार को दिए निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्यौहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए

- 'राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी मिलावट को लेकर हाई रिस्क एरिया और समय चिन्हित करे। प्राधिकारी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करे'
- 'सीएस और कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य व जिला स्तरीय कमेटी का गठन करें। केन्द्र व राज्य सरकार वैबसाइट बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर जारी करे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएं'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए बनाये गये कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, कृषि विभाग के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस खाद्य सुरक्षा और एसीएस स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप ढंड ने ये आदेश इस संबंध में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने कहा कि, संबंधित अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर नियमित सैंपल की जांच करें और हर माह के अंत में अदालत में रिपोर्ट पेश कर इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

अदालत ने कहा कि आज लोग बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त है। ऐसे में हम यह जानने के लिए बहुत कम समय देते हैं कि, जो हम रोज खा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा मानक बिल बनाया गया था, लेकिन उसे अब तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि, सरकार मिलावट के मुद्दे को गंभीरता से ले, ताकि जीवन बचाया जा सके। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्यौहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए।

अदालत ने मिलावट पर अंकुश लगाने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी के साथ-साथ संबंधित कलेक्टरों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने को कहा है। अदालत ने जोधपुर और जयपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार कौंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य वकीलों को कहा है कि वह इस संबंध में अदालत में अपना सहयोग प्रदान करे। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की पालना के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय व मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजी है।

अदालत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार बीस फीसदी खाद्य पदार्थ मिलावटी या तय मानक स्तर के नहीं है। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सर्वे के अनुसार 70 फीसदी दूध में पानी मिला होता है। सर्वे में दूध में डिटर्जेंट भी मिला है

अदालत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं करता। अधिनियम असंगठित क्षेत्र, हॉकर्स आदि पर लागू न होकर सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट पर ही लागू होता है। इसके अलावा सैंपल जांचने की लैब की भी कमी है। तकनीक के अभाव में खाद्य प्राधिकारी उचित निगरानी नहीं रख पाते हैं।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिये कि केन्द्र और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए। राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी मिलावट को लेकर हाई रिस्क एरिया और समय चिन्हित करे। प्राधिकारी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करे। सीएस और कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य व जिला स्तरीय कमेटी का गठन। केन्द्र व राज्य सरकार वेबसाइट बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर जारी करे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

भाजपा विधायक दल की बैठक आज

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही 3 जुलाई से चलेगी। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ बजट पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष के द्वारा लगाए गए सवालों के जवाब भी कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा तैयार करवाए गए है। भाजपा की सरकार बनने के बाद सदन में पिछली विधानसभा के लंबित सवालों के जवाब भी 3 माह के दौरान पेश करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसे में वर्तमान में सदन में लगाए गए सभी सवालों को जवाब समय पर लगाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही नहीं चलने के बयान जारी कर रहे है। ऐसे में उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि उनके पास सदन में चर्चा के लिए कोई विषय नहीं है।

मनजिंदर सिंह ने दक्षिण पश्चिमी कमांड की कमान संभाली

लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह

जयपुर (कासं)। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने 1 जुलाई 2024 को प्रेरणा स्थल में एक समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित कर, जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की बागडोर संभाली।

ज्ञात रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के छात्र हैं। उन्होंने दिसम्बर 1986 में 19 मद्रास में कमीशन लिया। करीब 37 साल के अपने प्रतिष्ठित और शानदार सैन्य करियर में, उन्हें जम्मू कश्मीर और पश्चिमी मोर्चे पर कमांड और स्टाफ नियुक्तियों का गौरव प्राप्त हुआ है। जनरल ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेन्सी ऑपरेशन में अपनी बटालियन की कमान संभाली, नियंत्रण रेखा पर इन्फैंट्री ब्रिगेड, डेजर्ट स्ट्राइक कोर के हिस्से के रूप में एक इन्फैंट्री डिवीजन और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेन्सी ऑपरेशन में नियंत्रण रेखा पर तैनात कोर की कमान भी संभाली। उनकी विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों में जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेन्सी ऑपरेशन में तैनात कोर में कर्नल जीएस (आईडब्ल्यू) और कमांड मुख्यालय में कर्नल जीएस (ऑप्स/एयर), बीजीएस (ऑप्स), एमजीजीएस (ऑप्स) और सीओएस शामिल हैं। उनकी अनुदेशात्मक नियुक्तियों में भारतीय सैन्य अकादमी में प्लाटून कमांडर और प्रशिक्षक सीएलसी और भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (इम्ट्राट), भूटान में डीएस कोऑर्ड शामिल हैं।

राहुल गांधी का बयान अति निंदनीय : वैष्णव

जयपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिंदगी भर बिना जिम्मेदारी के पावर एंजॉय करने वाले राहुल गांधी ने आज पहली बार जिम्मेदारी का पद ग्रहण करने के बाद भी बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अध्यक्ष पद पर उनका बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और अति निंदनीय है। कांग्रेस और राहुल गांधी का यह पुराना चाल, चरित्र और चेहरा जिसने हमेशा देश की संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को कमजोर किया है। इससे पहले उन्होंने प्रेस क्लब में अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया था।

वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह की लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से नेशनल एडवाइजरी कमेटी के नाम पर सोनिया गांधी चलाती थीं। कांग्रेस वो पार्टी जिसने कमिटेड ज्यूडिशरी की बात की। राहुल गांधी भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या में मुआवजे पर झूठी और भ्रामक बात कही। 4215 दुकानदारों को 1253 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा दुकानों को जन भागीदारी के तहत रीलोकेट भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी बताया है। यह बेहद निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और पूरे हिंदू समाज का अपमान है। 2010 में इनके तत्कालीन मंत्री पी चिंदबरम ने और 2013 में इनके तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को बेहद नीचा किया है। संसद में चर्चा के दौरान हिंदुओं को हिंसक और असत्यवादी बताना किसी भी तरीके से नेता विपक्ष के लिए शोभनीय नहीं है।

'संकल्प पत्र' के क्रियान्वयन के लिए 47 विभागों की बैठक ली उपमुख्यमंत्री ने

जयपुर । उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने संकल्प पत्र-2023 के क्रियान्वयन के लिए 47 विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरकार, राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एकजुट होकर काम करें। संकल्प पत्र मे से 38 बिन्दुओं की पूर्ण क्रियान्विति की जा चुकी है, शेष बचे सभी वादे जल्द पूरे किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द सोमवार को शासन सचिवालय स्थित सभागार में संकल्प पत्र के 9 थीम पर आधारित 343 बिन्दुओं की क्रियान्विति के लिए इनसे संबंधित 47 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रदेश के नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के ऐसे बिन्दु जिनका सीधा सम्बन्ध जनहित से है उनको प्राथमिकता देकर शीघ्र कियान्वयन सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी विभाग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्ग दर्शन में संकल्प पत्र के बिन्दुओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे, जिससे प्रदेश के वंचित वर्गो सहित आम आदमी के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आ सकेगा।

राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मिश्र को जन्म दिन पर श्रीनाथजी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को फोन कर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्म दिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने फोन पर राज्यपाल मिश्र के आदर्श व्यक्तित्व और अनुकरणीय बताते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

राज्यपाल के जन्म दिन पर सोमवार प्रातः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मोदी ने मिश्र के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं में काम करते हुए उन्होंने शुचिता के साथ आदर्श जीवन मूल्यों को जिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मिश्र को जन्म दिन पर पुष्पगुच्छ के साथ श्रीनाथजी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की और शॉल, दुपट्टा ओढाकर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मिश्र को जन्म दिन पर जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा सहित देश के विभिन्न राज्यों से मंत्री, सांसद, विधायक एवं विशिष्टजन ने भी फोन कर बधाई दी।

डॉ. राहुल अग्रवाल की याद में भजन संध्या आज

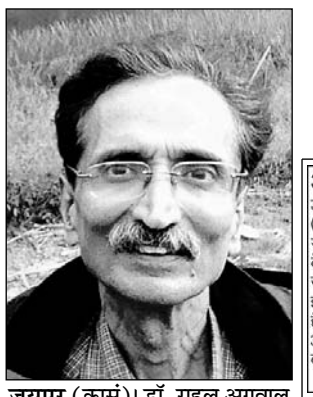

जयपुर (कासं)। डॉ. राहुल अग्रवाल की याद में जयपुर के बनीपार्क स्थित बनीपार्क धर्मार्थ संस्थान में मंगलवार शाम 5 से 6 बजे तक भजन संध्या आयोजित की जायेगी। डॉ. अग्रवाल बेहद संजीदा, लोकप्रिय और समाजसेवी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से "मास्टर ऑफ सर्जरी" विषय के स्वर्ण पदक विजेता रहे। उन्होंने करीब 2 दशक तक प्लास्टिक सर्जरी के निःशुल्क शिविर भी लगाए।

डॉ. राहुल अग्रवाल के पिता सतीश चंद्र अग्रवाल जनसंघ के वरिष्ठ नेता और प्रखर वक्ता थे। वे वर्ष 1977 से 1984 तक दो बार जयपुर से सांसद रहे, बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए। सतीश चंद्र अग्रवाल वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे।

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस का अधिग्रहण किया

जयपुर, (का.सं.)। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी के एक अग्रणी एफएमसीजी स्पेस में एक मजबूत ब्रांड इक्विटी और देश भर में एक वफादार उपभोक्ता आधार रखती है। इस एचपीसी व्यवसाय में वर्तमान में चर प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं जिनमें डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर और हेयर केयर शामिल हैं। एचपीसी व्यवसाय के अधिग्रहण की यह रणनीतिक पहल कंपनी के मौजूदा एफएमसीजी उत्पाद के पोर्टफोलियो को प्रतिष्ठित ब्रांडों की एक श्रृंखला के साथ मजबूत करेगी और राजस्व एवं एबिटा की वृद्धि में भी योगदान देगी।

पीएफएल, पीएएल के संपूर्ण व्यवसाय को एक चालू व्यवसाय के आधार पर अधिग्रहीत करने के लिये तैयार है, और इसमें व्यवसाय, संबंधित कर्मचारियों वितरण नेटवर्क, अनुबंधों, लाईसेंसों, परमिटों सहमतियों और इस ऑपरेशन के लिये आवश्यक अनुमोदनों से संबंधित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां शामिल हैं।

एचपीसी व्यवसाय के हस्तांतरण के लिये कंपनी और पीएएल के बीच 1100 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि पर पारस्परिक रुप से बातचीत की गई है, जो प्रथागत समापन तिथि समायोजन और कंपनी और पीएएल के बीच निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय हस्तांतरण समझौते में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होंगी।

कैबिनेट की बैठक आज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में कहीं महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में बजट सत्र में किए जाने वाले विधायी कार्यों के अनुमोदन, विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों को लेकर विचार किया जाएगा। तबादला नीति के विभागों के अलग अलग प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी।

सहकारी समितियां नवाचारों के साथ ग्रामीण जीवन सरल-सुगम बनाएं : गौत्तम कुमार दक

- प्रदेश की 8 सहकारी समितियां उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 से सम्मानित

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सोमवार को सहकार भवन में एन.सी.डी.सी. के क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 के पुरस्कार वितरण किये।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये नवाचारों को अपनाना चाहिये, ताकि ग्रामीण जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सके।

दक सोमवार को सहकार भवन में एनसीडीसी के क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की पहल पर 54 नये नवाचार हुए है। सहकारिता में विकास की अकूत संभावनाएं हैं। आज सहकारी समितियां सुपर स्टोर के संचालन के साथ-साथ पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी आदि का संचालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली सहकारी समितियां अपने जिले की अन्य सहकारी समितियों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करे एवं उनका सहयोग करे।

सहकारिता मंत्री ने एनसीडीसी के द्विवार्षिक पुरस्कार समारोह में चार श्रेणियों में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के तहत पुरस्कार दिये गये। सर्वश्रेष्ठ पैक्स श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीकर को 25 हजार रूपये एवं स्मृति चिन्ह तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति, अनूपगढ़ को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 हजार रूपये एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।

इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए बांसवाडा क्रय विक्रय सहकारी समिति, बांसवाडा व क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये कोटपूतली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कोटपूतली तथा सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति की श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए आपणी सहकारी सेवा समिति लि., माधोराजपुरा, क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये महिला सहकारी समिति में केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., अजमेर, को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिये सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार के लिये चयनित सोसायटी को एक ट्रॉफी, स्मृति चिह्न तथा 25 हजार रुपये का चैक तथा श्रेष्ठता पुरस्कार के लिये एक ट्रॉफी, स्मृति चिह्न तथा 20 हजार रुपये का चैक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी, विजय शर्मा सहित पुरस्कृत सहकारी समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री रूपचन्द चाँदवानी** का स्वर्गवास दिनांक 30.06.2024 को हो गया है जिनकी तीये की बैठक मंगलवार (जनाना/मर्दाना) दिनांक 02.07.2024 को सायं 5.30 बजे जय भवानी मन्दिर चाणक्य मार्ग, सुभाष चौक जयपुर पर होगी।

शोककुल- सपना धर्मपत्नी स्व. रमेश, नन्दकिशोर-अनीता (पुत्र-पुत्रवधु), गीता-विजयकुमार (पुत्री-दामाद) भरत, आशीष, धर्मेश (पौत्र) एवं समस्त चाँदवानी परिवार। मो. 9079831221

यह बैठक अन्तिम बैठक होगी।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना हर खासो आम सूचित हो कि मेरे अभिभाष्य रामावतार शर्मा पुत्र श्री दुर्गालाल शर्मा निवासी-63, खातियो का मोहल्ला, गांव रामचन्द्रपुरा, विद्याणी तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का पुत्र राजूलाल शर्मा व पुत्र वधु संगीता मीणा कहने मे नही है तथा आहूत हो गये है कोई व्यक्ति इनसे लेन देन करता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र राजूलाल शर्मा व पुत्र वधु संगीता मीणा को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अब राजूलाल शर्मा व उसकी पत्नी संगीता मीणा का मेरे अभिभाष्य व उसकी चल व अचल सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है।

जयपुर
दिनांक (अजय कुमार बोहरा) एडवोकेट मो. 7976622068

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री अरविन्द कुमार शर्मा (94131-00537) ने मकान नं. 2467, मंदिर ठा. नरसिंहजी, रामलला का रास्ता, जयपुर में स्व. दौलतराम के वारिसान श्रीमती पार्वती, सुनील, गोविन्द एवं सुनिता से उनका हिस्सा व सेवा-पूजा के हक का कब्जा जरिये इकरारनामा दिनांकित 19.06.2024 प्राप्त कर लिया है। इस बावत किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 15 दिन में एतराज प्रस्तुत करें। इसके बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सीताराम खाण्डल, एडवोकेट, मो.-94147-19041

खोया पाया

हमारे प्लाट 1-386 राजधानी मेट्रोपोलिस रेनवाल, तहसील फागी के मूल दस्तावेज (आवंटन पत्र, जेडीए पट्टा, मूल रजिस्ट्री, साइट प्लान) कहीं खो गए है मिलने पर संपर्क करें। अजीत आहूजा, मोबाइल-9414330076

नाम परिवर्तन

मेरा पूरा नाम शक्ति सिंह राठौड है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये यह संदेश मैं अपने पुत्र लवजीत सिंह राठौड की 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिकाओं में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रेषित कर रहा हूँ पता-शक्ति सिंह राठौड पुत्र जय सिंह राठौड डी-35, तारा नगर डी झोटवाडा वार्ड नं. 10 जयपुर

मैं आर्मी नम्बर 16026307L नायक Manu Singh S/o Umesh Singh R/o Village Nagra, Post-Nagra, Dist-Morena, M.P. Pin 476115 आर्मी सर्विस रिकोर्ड में मेरी धर्मपत्नी का नाम As Mehadi गलत दर्ज है मेरी धर्मपत्नी का सही नाम Kumari Asmehadi है Vide Affidavit BV 993576 Dated 28.06.2024

मैं, अशोक लालवानी पुत्र श्री तोला राम लालवानी निवासी 188-ए, कंवर नगर जयपुर-302002 मैंने सभी उद्देश्य के लिए अपना नाम अशोक कुमार से बदलकर अशोक लालवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे अशोक लालवानी के नाम से जाना जाय।

आम सूचना मैं मनु गोयल पुत्र स्व. श्री मुन्ना लाल गोयल निवासी बी-40-ए, गणेश मार्ग, बापू नगर, रामबाग सर्किल के पास, जयपुर वाहन संख्या RJ14-UD-0899 Innova Car जो कि मेरी स्व. माताजी पुष्पा गोयल के नाम से पंजीकृत है। वाहन संख्या RJ14-U-3353 Qualis कार जो कि मेरे स्व. पिताजी मुन्ना लाल गोयल के नाम से पंजीकृत है। मेरे माताजी व पिताजी दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। दोनों वाहन को मैं अपने नाम हस्तांतरण करवाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी कोई आपत्ति हो तो D.T.O.N.T. जयपुर से 7 दिवस में सम्पर्क करें।

निविदा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः जविप्राजोन-2/2024 / डी- 804 दिनांक 24.06.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शाहनाज बानो पत्नी श्री महबूब खान द्वारा आवास संख्या डी-274, विद्याधर नगर, जयपुर का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवंटित आवास की लीज डीड दिनांक 16.12.2005 को श्री मोहन लाल दाधिच पुत्र श्री सोहन लाल के पक्ष में जारी की गई है। लीजधारक की मृत्यु दिनांक 18.12.2019 को हो जाने एवं उनके पुत्र श्री नरेश कुमार दाधिच की मृत्यु दिनांक 26.08.2011 को हो जाने, श्री नरेश कुमार दाधिच के वारिसान द्वारा उक्त आवास अपनी माता श्रीमती नीतू दाधिच पत्नी श्री महेश कुमार दाधिच पुत्रवधू स्व. श्री मोहन लाल दाधिच के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 21.12.2010 को किया गया। हकत्याग पत्रग्रहिता श्रीमती नीतू दाधिच के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2021 के द्वारा श्रीमती शाहनाज बानो पत्नी श्री महबूब खान को बेचान किया गया है के आधार पर चाहा गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी एसएफ 205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद मियाद आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त जोन-2

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः जविप्राजोन-5/2024 / डी-1057 दिनांक 29.06.2024

खुदाबादी सोनार हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. की योजना पार्श्वनाथ कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 42 का इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.05.2000 को श्री सोभागमल कुमावत पुत्र श्री रामरत्न के पक्ष में क्षेत्रफल 200.00 वर्ग गज का पट्टा विलेख जारी गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा - विलेख (लीज होल्ड से फ्री होल्ड) बाबत श्री चन्द्रप्रकाश गुलाटी पुत्र श्री टी. एन. गुलाटी द्वारा आवेदन पत्र के साथ श्री सोभागमल कुमावत का उप रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, स्व. सोभागमल कुमावत के वारिसान द्वारा श्री शैलेष कुमावत पुत्र स्व. श्री सोभागमल कुमावत के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र की प्रति तथा वारिसान के संबंध में सजरा शपथ पत्र की प्रति एवं श्री शैलेष कुमावत द्वारा आवेदक श्री चन्द्रप्रकाश गुलाटी के निष्पादित विक्रय पत्र की प्रति संलग्न की गई है। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा - विलेख (लीज होल्ड से फ्री होल्ड) करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदिकागण के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-5

आवश्यकता

आवश्यकता है पार्ट टाइम कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की जो हिन्दी में पेजमेकर, क्वार्क और वर्ड में काम कर सकें।
कार्य समयः सांय 8.00 से 12.00
सम्पर्क करें: अमित
मोबाईल नं.: 7905717804
राष्ट्रदूत
चमेली वाला मार्केट, जयपुर

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार फुलेरा,
मु. सांभरलेक जिला जयपुर ग्रामीण
दुरभाष नम्बर-01425-228219 ई-मेल-tdrsbr@ymail.com

क्रमांक-भू.अ./2024/2982 दिनांक-28.06.2024

सार्वजनिक सूचना नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मंसूरबक्स पुत्र लालू जाति मुसलमान निवासी निर्वाणों का मोहल्ला छोटा बाजार सांभरलेक तह. फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में मृतक महबूब अली उर्फ महमूद बक्स पुत्र गेंदा खां उर्फ हेदर बक्श जाति मुसलमान के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खाता संख्या 212, 214 वाके ग्राम कस्बा सांभर का वसीयत के आधार पर नामान्तरण खुलवाने बाबत प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1856 की धारा 135(2) के तहत हाजा न्यायालय में विचाराधीन है।

अत यदि किसी दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो आगामी दिनांक 19.07.2024 तक पेश करें अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया जावेगा।

तहसीलदार (भू.अ.)
फुलेरा मु. साँभरलेक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यायनिर्णायक अधिकारी (अडजूडिकेटिंग ऑफिसर) श्री जी.रामर ने निम्नलिखित नोटिसियों से संबंधित मामले में न्यायनिर्णयन आदेश पारित किए है। नोटिसियों के ब्यौरे नीचे दिए गए है-

क्र. सं.	न्यायनिर्णयन आदेश का ब्यौरा (मामले का नाम)	पैन/सीआईएन	व्यक्ति/नोटिसी का नाम और अंतिम ज्ञात पता
1	बीएसई में अर्थसलभता रहित स्टॉक ऑप्शन्स (इल-लिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स) में लेनदेन (डीलिंग) करने के मामले में तारीख 31 अगस्त 2023 का आदेश (सं. Order/GR/HK/2023-24/29090)	AQCPK2138B	मंगल कुमार ए5, महावीर उदयान मार्ग, बजाज नगर जयपुर, राजस्थान-302017
2	बीएसई में अर्थसुलभता रहित स्टॉक ऑप्शन्स (इल-लिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स) में लेनदेन (डीलिंग) करने के मामले में तारीख 26 सितम्बर 2023 का आदेश (सं. Order/GR/HK/2023-